89

संख्या / XXVII(7)27(3)/2013

प्रेषक,

डी0एस0गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
 उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
 उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः ०२ नवम्बर, 2016

विषयः राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य मानदेय के आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 112/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 28 अगस्त, 2015 जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में दिये जाने वाले मानदेय में एक माह के मूल वेतन के साथ 100 प्रतिशत महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. राजकीय वाहन चालकों को उक्तानुसार अनुमन्य मानदेय में मंहगाई भत्ते की दरों के आगणन के सम्बन्ध में कतिपय स्तरों से की जा रही पृच्छाओं के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय वाहन चालकों को वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुमन्य एक माह के मूल वेतन के साथ तत्समय प्रभावी दरों के अनुसार महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

3. उक्त वर्णित शासनादेश संख्या 112/XXVII(7)27(3)/2013 दिनांक 28 अगस्त, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 122 / XXVII(7)27(3)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।

.....2..

2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव